

नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)

निरीक्षण प्रक्रिया संबंधी प्रोसेस मैप

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत (दंडनीय अपराधों के होने या होने की संभावनाओं के विषयक)

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 23 (2) सहपठित म.प्र. विधिक मापविज्ञान नियम 2011, के नियम 9 में प्रावधानित नाप-तौल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारक अनुज्ञप्ति प्रदाय एवं नवीकरण करने हेतु निरीक्षण।

- शिकायत प्राप्त होने पर,
- अनियमितता का संदेह होने पर,
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के पालन में,

नाप-तौल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारक अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु आवेदन प्राप्त होने पर निरीक्षण,

निरीक्षण किए जाने के 48 घंटे के अंदर निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन सबमिट किया जाना आवश्यक किया गया है।

निरीक्षण किए जाने के 48 घंटे के अंदर निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन सबमिट किया जाना आवश्यक किया गया है।

ऑनलाईन निरीक्षण रिपोर्ट जमा करने हेतु वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक <http://cwnm.site/uploadReport.php>

The screenshot shows the website interface for the Controller Weights & Measures, Madhya Pradesh. The header includes the organization's name in English and Hindi, along with a logo and a scales of justice icon. Below the header, there are two main sections for report submission: 'Submit Report For Licence' and 'Submit Other Report'. Each section contains a form with fields for 'Password', 'Area' (a dropdown menu), and 'File' (with 'Choose File' and 'Remove File' buttons). A 'Submit Report' button is located at the bottom of each form. A 'BACK TO HOME PAGE' link is also visible in the top left corner.